

खिजी बमुकदमे ईबतदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

1. सतवीर पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी ।

-वादी

बनाम्

4. रामकुमार पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी ।
5. प्रमीला पुत्री रामकुमार पत्नी कर्मवीर जाति जाट निवासी बचेर तहसील रानियां जिला सिरसा ।
6. विमला पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी ।

-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर वर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री सुभाषचन्द्र गर्ग प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं.1 रामकुमार के नाम से चक नं.22 केएनएन के खाता सं.0 90/64 में कुल 1.518 है.मय गै.मु. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर प्रतिवादी सं.1 रामकुमार का नाम चक नं.22 केएनएन के खाता सं.90/64 में से कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज\_\_\_निल\_\_\_मुब्लिक\_\_\_निल\_\_\_बाबत्\_\_\_निल\_\_\_खर्चा मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक १०.०.१८ अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक १०.०.१८ को जारी किया गया।



( उम्मेद सिंह रतनू )  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी